प्रेषक ,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

मैनपुरी

सेवा में,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन,

उ0 प्र0 लखनऊ।

पत्रांक : मु.चि.अ. / एम0एण्ड0ई0 / वाहन / 2017–18 / 3007-3 दिनांक : 18/11/017

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद / ब्लाक स्तर पर टैक्सी परमिट वाहनों की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड0ई0 / 2017–18 / 01 / 8551–4 दिनांक 15.11.2017 के अनुपालन में जनपद मैनपुरी में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर लिये गये वाहनों की सूचना निम्नवत है

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise information 2017-18

S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Agra	Mainpuri	Karhal	UP84 M 3130	01-06-2016	Yes
2			Kurawali	UP84 N 5790		
3			Bewar	UP84 N 5899		
4			Mainpuri(Kuchela)	UP84 T 4924		
5			Barnahal	UP80 CT 2670		
6			Ghiror	UP84 T 3975		
7			Sultanganj	UP84 T 4268		
8			Kishni	UP84 M 9980		
9			Jagir	UP84 T 3946		

Supportive Supervision Vehicle Hiring- District level information 2017-18

S.No.	Name of District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No.1	Date of Hiring	Vehicle No.2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Mainpuri	CMO	UP75M6882	01-06-2016	UP84T3888	01-06-2016	Yes

मेसर्स न्यू कृष्णा कान्ट्रेक्टर
मैनपुरी

पटल सहायक
एन0एच0एम0मैनपुरी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपुरी

पत्रांक : मु.चि.अ. / एम0एण्ड0ई0 / वाहन / 2017–18 / तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महाप्रबन्धक एम0एण्ड0डी0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0 प्र0 लखनऊ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल आगरा।
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 मैनपुरी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपुरी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CF 844214

वित्तीय वर्ष 2016.17 हेतु ब्लाक स्तर एवं मुख्यालय पर मोनीटरिंग हेतु 11 वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में हेतु अनुबन्ध पत्र।

प्रथम पक्ष

प्रोपराइटर
मैसर्स न्यू कृष्णा कान्टेक्टर
आवास विकास कालौनी मैनपुरी

एवं

द्वितीय पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपुरी।
अनुबन्ध पत्र की शर्ते निम्नलिखत है–

1. प्रत्येक वाहन हेतु रू0 25251.00 की दर से प्रति माह कार्य जिसमे सर्विस टैक्स, पी0ओ0एल0 तथा अन्य व्यय शामिल होंगे। कार्यदायी संस्था की कार्य अवधि स्वीकृत तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक मान्य होगी।
2. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता एजेन्सीके पास इस कार्य के लिए टाटा सूमो/बोलेरो जैसा वाहन उपलब्ध कराई गई है, जो 30 जून, 2013 से पूर्व के निर्मित नही है ।
3. टैक्स परिमिट वाहन विस्तृत बीमा (Comprehensive insurance) तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैसे फिटनेस पंजीयन आदि वाहन के साथ उपलब्ध है ।
4. कार्यकम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार/जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी द्वारा किया जा सकता है।
5. निविदाकर्ता को रू0 79200/– (रू0 उन्यासी हजार दो सौ मात्र) की एफ.डी.आर. जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी के पास बन्धक रहेगी। अनुबन्ध समाप्त होने की दशा यह धरोहर सेवा प्रदाता को वापस कर दी जायेगी।
6. कोई अप्रिय घटना, जोखिम घटित होने पर सम्पूर्ण उत्तर दायित्व ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता एजेन्सी का ही होगा।
7. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता को सर्विस टैक्स रिर्टन प्रत्येक छमाई अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।

8. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षणको प्रतिदिन करने हेतु समय से वाहन उपलब्ध कराना होगा यदि इस सम्बन्ध में ब्लाक से किसी प्रकार की शि वाहन समय से न पहुँचने की आती है तो उक्त वाहन की उस दिन की धनराशि काट कर भुगता जायेगी ।

9. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता फर्म के द्वारा जो वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है । उसकी फोटो (वाहन का रजिस्टेशन न0 स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा हो अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

10. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता फर्म के द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन के खराब होने पर तुरन्त दूसरा उपलब्ध कराना होगा ।

11. किसी भी वाद-विवाद का निपटारा जनपद न्यायालय, मैनपुरी के अधीन मान्य होगा।

12. ट्रैवल ऐजन्सी/सेवाप्रदाता एजेन्सीका कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में किया गया उ किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर धनराशि जप्त कर ली जायेगी ।

13. सेवा प्रदाता द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के बिना अनुमित के कोई भी वाहन परिवर्तन नही होगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपरी।
दिनांक 1/6/16
स्थान – मैनपुरी

सचिव
मैसर्स न्यू कृष्णा कान्टेक्टर
आवास विकास कालौनी मैनपुरी

NOTARY

जिन्होंने इस ... की विषय वस्तु को पूर्णतः ... ने आज मेरे समक्ष ... पहचान किया । ... कराई । दिनांक 5/9/15

बी०एन० मिश्र, एडवोकेट
नोटरी मुख्यालय
जिला मैनपुरी (उ०प्र०)

जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की 61 वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 27.03.2017 को जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय), जनपद मैनपुरी की बैठक श्री चन्द्रपाल सिंह, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में अपराह्न 03:00 बजे अम्बेडकर सभागार विकास भवन में सम्पन्न हुई। जिसमें उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरयुक्त मूल सूची संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु–1 जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की 60 वीं बैठक दिनांक 26.12.2016 की कार्यवाही का समिति से पुष्टि/अनुमोदन का अनुरोध।

निर्णय – नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मैनपुरी द्वारा विगत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी, जिस पर जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–2 जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की 60 वीं बैठक दिनांक 26.12.2016 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण।

निर्णय – जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा 60वीं बैठक दिनांक 26.12.2016 की कार्यवाही (ATR) का अवलोकन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी करहल, सगामई व बेवर को अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु अनुरूप प्रगति न प्राप्त होने पर मार्च 2017 का वेतन आहरण स्थगित करते हुये प्रतिकुल कार्यवाही हेतु कड़ी चेतावनी जारी कर दी गयी है। जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा अनुपालन सन्तोषजनक नही पाया गया। विस्तृत विवरण एजेण्डा बिन्दु 3 में अंकित है।

एजेण्डा बिन्दु–3 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की कार्यक्रमवार समीक्षा–

- **जननी सुरक्षा योजना–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2017 तक लक्ष्य 91.63 प्रतिशत् के सापेक्ष जनपदीय भौतिक उपलब्धि 81% पायी गयी, जिसमें ब्लॉक कुचेला (54.10%), करहल (56.48%), एवं मानपुरहरी (57.32%), की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्त हुयी है। भुगतान किये गये लाभार्थियों की जनपदीय उपलब्धि 85.92 प्रतिशत व आशा केसो के भुगतान की उपलब्धि 94.61% हुयी है। लाभार्थियों के भुगतान में जिला महिला चिकित्सालय 63.60 प्रतिशत व बेवर/मानपुहरी 75.49 प्रतिशत तथा आशा भुगतान में करहल 66.48 व किशनी 28.19% की असन्तोषजनक प्रगति पर समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। समिति द्वारा लाभार्थियों व आशाओं को ससमय शत प्रतिशत भुगतान किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

  (कार्यवाही– नोडल अधिकारी–एन.एच.एम./मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जि0म0चि0/सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक)

- **प्रथम सन्दर्भन इकाई–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा प्रथम सन्दर्भन इकाई जिला महिला चिकित्सालय में माह फरवरी, 2017 तक 01 व सी0एच0सी0 कुरावली पर 11 सीजेरियन प्रसव पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला महिला चिकित्सालय में अपेक्षित प्रगति न होने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/गायनोकॉलाजिस्ट को प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु कड़ी चेतावनी पत्र जारी कर दिया गया है।

  (कार्यवाही– मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जि0म0चि0)

- **मातृ–मृत्यु समीक्षा–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा जनपद में माह फरवरी, 2017 तक 25 मातृ–मृत्यु होना पाया गया। माह फरवरी 2017 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घिरोर व मानपुरी में क्रमशः एक–एक मातृ–मृत्यु हुयी, जिनका कारण पी0पी0एच0 होना पाया गया। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मातृ–मृत्यु होने के कारणों की ससमय समीक्षा व ऑडिट की जाये तथा मातृ–मृत्यु रोकने हेतु पूर्ण प्रयास किये जाये। गम्भीर अल्पता वाली

गर्भवती माताओं की उचित देखभाल आशा द्वारा की जाये तथा आशा क्षेत्र में हुयी मातृ मृत्यु हेतु आशा की जिम्मेदारी तय कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

(कार्यवाही –नोडल अधिकारी–एन.एच.एम., समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा माह फरवरी, 2017 तक ड्रॉपबैक की सुविधा प्राप्त लाभार्थियों की जनपदीय उपलब्धि 85.28 प्रतिशत, 48 घण्टें रुकने वाले लाभार्थियों की जनपदीय उपलब्धि 79.32 प्रतिशत एवं निशुल्क भोजन प्राप्त लाभार्थियों की जनपदीय उपलब्धि 92.63 प्रतिशत पायी गयी। जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा निशुल्क भोजन वितरण एवं ड्राप बैक में प्राप्त हो रही शिकायतो पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी, जो कार्यवाही हुयी उसे प्रस्तुत किया जाये। समिति द्वारा निर्देश दिये गये सभी नोडल अधिकारीं अपने–2 क्षेत्र में आवटित सी0एच0सी/ पी0एच0सी0 का भ्रमण कर कार्यक्रम में आवश्यक सुधार लाये एवं प्राप्त दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी–एन.एच.एम., सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा माह फरवरी, 2017 तक भ्रमण किये गये विद्यालयों की जनपदीय उपलब्धि (98.43%) व आंगनवाड़ी केन्द्रो की जनपदीय उपलब्धि (88.60%) तथा विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की जनपदीय उपलब्धि (84.87%) व आंगनवाड़ी केन्द्रो पर स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की उपलब्धि (71.11%), पायी गयी। समिति द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की कम प्रगति पर चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी करहल (47.34%), सगामई (66.13%) व मानपुरहरी (66.17%) को लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु कड़ी चेतावनी दी गयी।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी–एन.एच.एम.,सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **अनटायड फण्ड –** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा समस्त नोडल अधिकारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ग्राम पंचायत वार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में उपलब्ध धनराशि की स्थिति की समीक्षा कर अवगत कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। अनटायड फण्ड का उपयोग ससमय प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – समस्त नोडल अधिकारी–एन.एच.एम., समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **पी.सी.पी.एन.डी.टी.–** पी.सी.पी.एन.डी.टी. के अन्तर्गत माह फरवरी 2017 तक 28 अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर पर आकस्मिक निरीक्षण किये गये तथा तीन केन्द्रो पर मिथ्या ग्राहक के माध्यम से निरीक्षण किये गये परन्तु कहीं भी लिंग परीक्षण होता हुआ नहीं पाया गया। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही –नोडल अधिकारी–पी.सी.पी.एन.डी.टी)

- **परिवार नियोजन–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा परिवार नियोजन कार्यकम के अन्तर्गत माह फरवरी, 2017 तक 4 पुरूष नसबन्दी व 564 महिला नसबन्दी की कम उपलब्धि पर असन्तोष व्यक्त किया गया। समिति द्वारा प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण)

- **नियमित टीकाकरण–** जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत माह फरवरी 2017 तक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण लक्ष्य 91.63 प्रतिशत् के सापेक्ष जनपदीय उपलब्धि (74.72%) तथा पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चो की जनपदीय उपलब्धि (91.02%) पायी गयी। गर्भवती महिलाओं के टी0टी0 टीकाकरण में मानपुरहरी (63.22%), करहल (65.86%) व कुरावली (68.77) तथा पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों में सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र करहल (87.59%) सगामई (89.58) व किशनी (89.55) की कम उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति में आवश्यक सुधार लाने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **मदर एण्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (एम.सी.टी.एस.)**– जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा दिनांक 24.03.2017 तक पोर्टल पर गर्भवती माताओं के लक्ष्य के सापेक्ष जिला चिकित्सालय अर्बन द्वारा (49.80.%), सुल्तानगंज (68.66) व सगामई (68.20%), एवं 0–1 वर्ष के बच्चों की लक्ष्य के सापेक्ष सुल्तानगंज (56.98%), जिला चिकित्सालय (.60.94%), व बेवर (61.40%), की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। समिति द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति में सुधार लाने हेतु सम्बन्धित को कड़ी चेतावनी दी गयी।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक)

- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** – राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह फरवरी 2017 तक 4810 मलेरिया स्लाइडो (2.4) प्रतिशत का परीक्षण किया गया, जिसमें कोई केस पॉजिटिव नही पाया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि डी0डी0टी0 का छिड़काव तथा बड़ी मशीन द्वारा शहर में फॉगिंग कराई गई है। समिति द्वारा प्रगति में सुधार के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम)

- **राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम**– जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह फरवरी 2017 तक लक्ष्य 91.63% के सापेक्ष 40.50% की खराब प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। समिति द्वारा प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम)

- **पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यकम**– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यकम के अर्न्तगत 70 रोगी धनात्मक पाये गये जिनमें 49 रोगियो का उपचार चल रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा दवाइयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रखने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– जिला क्षय रोग अधिकारी)

- **एच0बी0एन0सी0** – एच0बी0एन0सी0 के अन्तर्गत जनपद में माह फरवरी में 2.5 किलो ग्राम से कम नवजात शिशुओं की संख्या 57 तथा आशाओं द्वारा जमा किये गए गृह भ्रमण प्रपत्र की संख्या 1761 पायी गयी। जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा निर्देश दिये गये कि कम वजन वाले बच्चों की उचित देखभाल एवं फालोअप किया जाये।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी, समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- **प्रचार प्रसार(आई0ई0सी0)**– जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रचार प्रसार (आई0ई0सी0) में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी)

- **प्रस्ताव/अनुमोदन** -- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मैसर्स शहरी आजीविका केन्द्र मैनपुरी द्वारा प्रदत्त मानव संसाधन, मैसर्स समर्पण ग्रामोद्योग संस्थान स्टेशन रोड मैनपुरी द्वारा प्रदत्त आर0बी0एस0के0 वाहन, मैसर्स न्यू कृष्णा कान्ट्रेक्टर मैनपुरी द्वारा प्रदत्त सपोर्टिव सुपरविजन वाहन, मैसर्स राधाखादी ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त भोजन हेतु अग्रिम/नवीन टेन्डर होने तक यथावत कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय– जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसमिति से उपरोक्त सेवा प्रदाता एजेन्सियों का कार्य सन्तोषजनक होने पर अग्रिम/नवीन टेन्डर होने तक कार्य करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी)

- वित्तीय प्रगति – जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा जनपद की माह फरवरी 2017 तक वित्तीय प्रगति पर गहन समीक्षा की गयी, माह फरवरी तक जनपदीय व्यय 60% पाया गया। आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल में 66% व्यय, मिशन फ्लैक्सीपूल में 55% व्यय, नियमित टीककारण मे 66% व्यय, आई0डी0एस0पी0 में 65% व्यय, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 62% व्यय, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम में 29% व्यय, एन0सी0डी0 में 47% व्यय, राष्ट्रीय अर्वन हैल्थ मिशन में 71% व्यय, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में 35% व्यय, राष्ट्रीय वैक्टर वोर्न डिसीज कन्ट्रोल प्रोग्राम में 15% व्यय नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर एण्ड एल्डली में 30% तथा राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम में 40% के कम व्यय होने पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी व निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित लिपिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करें तथा सम्बन्धित नोडल अधिकारी को निर्देश दिये गये कि उपलब्ध धनराशि को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्राप्त वित्तीय गाईड लाइन के अनुसार ससमय लक्ष्य के अनुरूप व्यय कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– सम्बन्धित नोडल अधिकारी)

एजेण्डा बिन्दु–4 अन्य बिन्दु समिति की अनुमति/निर्देशानुसार–

जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) द्वारा निर्देश दिये गये कि संविदा पर तैनात कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइल (एप्रैजल फार्म, आदेश व गाइड लाइन की प्रति) तैयार की जाये। नवीनीकरण/पुनः अनुबन्ध व मानदेय भुगतान की कार्यवाही जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) के अनुमोदन उपरान्त ही की जायें।

अन्त में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

3.5.17 DPM

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
मैनपुरी

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति
मैनपुरी